



2026:AHC:14752

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 44303 /2025

श्रीमती अनीशा बेगम एवं अन्य

..आवेदकगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी पक्षगण

आवेदकगण के अधिवक्ता

: राकेश कुमार श्रीवास्तव

विपक्षी पक्षगण के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता,

न्यायालय संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव

श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव, आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य-प्रतिवादी की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री अजय कुमार सिंह को सुना गया और अभिलेखों का अवलोकन किया गया।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के अंतर्गत यह जमानत आवेदन अभियुक्त-आवेदिका श्रीमती अनीशा बेगम एवं बिस्मिल्लाह की ओर से प्रस्तुत किया गया है, जिसमें वाद अपराध संख्या 370 सन् 2025, भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 318(4) तथा उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3 एवं 5(1), थाना फेज-III, जनपद गौतम बुद्ध नगर में, अवर न्यायालय के समक्ष विचाराधीन वाद के दौरान जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना की गई है।

आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अभियुक्त-आवेदिकाएँ निर्दोष हैं, उन्हें इस वाद अपराध संख्या में झूठा फंसाया गया है तथा वे दिनांक 06.09.2025 से कारागार में निरुद्ध हैं। आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी प्रस्तुत किया कि दिनांक 04.11.2025 को पीड़िता ने अवर न्यायालय के समक्ष शपथपत्र दिया है, जिसमें उसने यह कहा है कि वह राजा मियां के साथ रह रही है तथा उसने अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया है। आवेदिकाओं के विरुद्ध कोई आपराधिक इतिहास नहीं है तथा जमानत पर रिहा होने की स्थिति में उनके न्याय से पलायन

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



करने या साक्ष्यों से छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। अतः जमानत की प्रार्थना की गई है।

विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत प्रार्थना का जोरदार विरोध किया।

उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों, आरोपों की प्रकृति, दोषसिद्धि की दशा में दण्ड की गंभीरता, उपलब्ध साक्ष्यों की प्रकृति, गवाहों से छेड़छाड़ की युक्तिसंगत आशंका तथा प्रथमदृष्टया स्थिति को ध्यान में रखते हुए, तथापि वाद के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना, जमानत हेतु मामला बनता है।

तदनुसार, जमानत आवेदन स्वीकृत किया जाता है।

अतः अभियुक्त-आवेदिकाएँ श्रीमती अनीशा बेगम एवं बिस्मिल्लाह, जो उपर्युक्त वाद अपराध संख्या में संलिप्त हैं, उन्हें व्यक्तिगत मुचलका तथा समान धनराशि के दो विश्वसनीय जमानतदार प्रस्तुत करने पर, जो संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार हों, निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:

1. आवेदिकाएँ साक्ष्यों से किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करेंगी।
2. आवेदिकाएँ किसी भी आपराधिक गतिविधि में संलिप्त नहीं होंगी।
3. आवेदिकाएँ अभियोजन के गवाहों पर दबाव नहीं डालेंगी/उन्हें भयभीत नहीं करेंगी तथा विचारण में सहयोग करेंगी।
4. आवेदिकाएँ प्रत्येक नियत तिथि पर न्यायालय में नियमित रूप से उपस्थित होंगी, जब तक कि संबंधित न्यायालय द्वारा उनके व्यक्तिगत उपस्थित होने से अधिवक्ता के माध्यम से छूट न प्रदान की जाए।

किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, अवर न्यायालय जमानत निरस्त करने के लिए स्वतंत्र होगा।

दिनांक : 21 जनवरी, 2026

रविप्रकाश

(न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव,)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।